बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र० / BSP(H)CL–09 / 2026– / पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– राज्य की वितरण कंपनियों के क्षेत्राधीन एल0टी0 प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, एल0टी0 केबल एवं अधिभारित ट्रांसफॉर्मरों इत्यादि के क्षमता विस्तार हेतु चरणवार तरीके से अधिकतम तीन वर्षों में कुल 11,096.55 करोड़ (ग्यारह हजार छियानवे करोड़ पचपन लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार की गारंटी पर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 6,066.00 करोड़ (छः हजार छियासठ करोड़) रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 5,030.55 करोड़ (पाँच हजार तीस करोड़ पचपन लाख) रूपये को विभिन्न वित्तीय संस्थानों / बैंको से वित्तीय पोषण प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करने, ऋण स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

बिहार राज्य में बिजली की खपत में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 2012 में बिजली की अधिकतम मांग 1802 मेगावाट थी जो अब बढ़कर 9475 मेगावाट हो गई है।

2. अधिक खपत को निर्बाध रूप से पूरा करने हेतु बिजली वितरण संरचना को लगातार सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। पूर्ववर्ती योजनाओं के अंतर्गत लगाए गए कम क्षमता वाले LT AB केबल एवं वितरण ट्रांसफॉर्मर बढ़ते विद्युत भार के कारण अधिभारित हो चुके हैं तथा इनके क्षमता विस्तार की आवश्यकता है।

3. वर्तमान में बिजली वितरण कंपनियों द्वारा कराये गए सर्वेक्षण के आलोक में LT प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, LT केबल एवं अधिभारित ट्रांसफॉर्मरों इत्यादि के क्षमता विस्तार हेतु कुल 11,096.55 करोड़ (ग्यारह हजार छियानवे करोड़ पचपन लाख) रूपये की धनराशि की आवश्यकता है।

4. इस धनराशि से वितरण व्यवस्था की संरचना को सुदृढ़ करते हुए 24X7 सुरक्षित, निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

5. योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा अधिकतम राशि क्रमशः 6,066.00 करोड़ (छः हजार छियासठ करोड़) रूपये एवं 5030.55 करोड़ (पाँच हजार तीस करोड़ पचपन लाख) रूपये की राशि का ऋण विभिन्न वित्तीय संस्थानों / बैंको से राज्य सरकार की गारंटी पर निम्न शर्तों के साथ प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाना अपेक्षित हैः–

I. Floating ब्याज दर के आधार पर ऋण लेने का प्रावधान रहेगा।

II. Moratorium Period न्यूनतम तीन वर्ष रहेगा।

III. ऋण वापसी किस्तों में की जायेगी, जिसकी अधिकतम अवधि 25 वर्ष होगी।

IV. ऋण देने वाले बैंक/वित्तीय संस्थान तथा उक्त दोनों वितरण कंपनियों के पारस्परिक सहमति से अन्य बिन्दुओं/शर्तों जिसपर ऊर्जा विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जायेगी।

V. वितरण कंपनियाँ परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने हेतु अपनी Pay Back Capacity के अनुरूप ऋण राज्य सरकार की गारंटी पर प्राप्त करेगी एवं उक्त गारंटी के प्रस्तावों में प्रोजेक्ट डिटेल, Borrower Detail, Lender Detail, Loan Amount, Guarantee Amount, Rate of Interest, Disbursement Schedule एवं Loan Repayment Schedule रहेगा।

VI. इसके साथ ही परियोजना को चरणों में पूर्ण करने की तिथि आदि का विस्तृत विवरण रहेगा।

VII. प्राप्त प्रत्येक ऋण के संधारण हेतु Escrow Account का इस्तेमाल किया जायेगा, साथ ही ऋण के विरूद्ध देय मूलधन किस्त एवं ब्याज किस्त के ससमय भुगतान हेतु Escrow Account का इस्तेमाल किया जायेगा। ऋण राशि की भरपाई वितरण कंपनियाँ अपने आंतरिक संसाधन से करेगी। ऋण के मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार की ओर से बजट सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

VIII. वित्त विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–1267 दिनांक–23.07.2025 के अंतर्गत गारंटी शुल्क के लिये लिये गये ऋण का न्यूनतम 0.25 प्रतिशत एवं पूर्व वर्ष के अवशेष ऋण का 0.25 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष राजकोष में जमा किया जायेगा।

IX. वित्त विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–1267 दिनांक–23.07.2025 के आलोक में परियोजना हेतु ऋण के 80% की अधिसीमा में राज्य सरकार की गारंटी उपलब्ध रहेगी।

6. दिनांक–14.10.2026 को लोक वित्त समिति की हुई बैठक में राज्य की वितरण कंपनियों के क्षेत्राधीन एल0टी0 प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, एल0टी0 केबल एवं अधिभारित ट्रांसफॉर्मरों इत्यादि के क्षमता विस्तार हेतु चरणवार तरीके से अधिकतम तीन वर्षों में कुल 11,096.55 करोड़ (ग्यारह हजार छियानवे करोड़ पचपन लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार की गारंटी पर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 6,066.00 करोड़(छः हजार छियासठ करोड़) रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 5,030.55 करोड़ (पाँच हजार तीस करोड़ पचपन लाख) रूपये को विभिन्न वित्तीय संस्थानों/बैंको से वित्तीय पोषण प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करने, ऋण स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति हेतु निम्नांकित शर्तो के साथ अनुशंसा प्राप्त है:–

I. क्रय किये जाने वाले DT एवं Conductor की गुणवत्ता CEA द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

II. DT की ऊर्जा दक्षता (Energy efficiency) लेवल–2 अथवा ज्यादा की होनी चाहिए।

III. कृषि फीडर एवं कृषि उपभोक्ताओं को मीटरिंग तीन महीने में पूर्ण हो जाए।

IV. सभी घरेलू उपभोक्ताओं की मीटर टैगिंग दो माह में पूर्ण कर दिया जाए, ताकि ऊर्जा दक्षता में सुधार हो सके।

7. उक्त आलोक में राज्य की वितरण कंपनियों के क्षेत्राधीन एल0टी0 प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, एल0टी0 केबल एवं अधिभारित ट्रांसफॉर्मरों इत्यादि के क्षमता विस्तार हेतु चरणवार तरीके से अधिकतम तीन वर्षों में कुल 11,096.55 करोड़ (ग्यारह हजार छियानवे करोड़ पचपन लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार की गारंटी पर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 6,066.00 करोड़ (छः हजार छियासठ करोड़) रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 5,030.55 करोड़ (पाँच हजार तीस करोड़ पचपन लाख) रूपये को विभिन्न वित्तीय संस्थानों/बैंको से वित्तीय पोषण प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करने, ऋण स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/BSP(H)CL–09/2026 के पृष्ठ संख्या–78/टि0 पर दिनांक–28.10.2026 को प्राप्त है।

10. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/BSP(H)CL–09/2026 के पृष्ठ संख्या–81/टि0 पर दिनांक–29.10.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(सुधा गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSP(H)CL–09/2026– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSP(H)CL–09/2026– 5449 /पटना, दिनांक– 02.11.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.11.26

सरकार के संयुक्त सचिव।